न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA2021-407Ju2021-143 Ajij Khatu Vs Abdul Salam etc

अजीज खातू पत्नी श्री अब्दुल रऊफ, जाति मुसलमान, निवासी- ग्राम मलार, रिण, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. अब्दुल सलाम पुत्र हाजी अता मोहम्मद
02. रऊफ खातु पत्नी हबीबबुल्ला
03. अब्दुल कादर पुत्र अब्दुल रसीद
04. मकबुल पुत्र अब्दुल रसीद (नाबालिग) जरिये पिता अब्दुल रसीद पुत्र सरादीन
05. मोहम्मद मकसुद पुत्र अब्दुल रसीद
    सभी जातियान् सिन्धी मुसलमान, निवासी- ग्राम रिण मलार, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
06. तेजसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत, निवासी- बड़ा कोटेचा, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी दिनांक 29 अक्टूबर 2021 राजस्व वाद संख्या 32/2021 अब्दुल सलाम व अन्य बनाम अजीज खातु इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री छोटूसिंह राठौड़, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 6
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7

नि र्ण य

दिनांक : 14 दिसंबर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/2021 अब्दुल सलाम व अन्य बनाम अजीज खातु इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अक्टूबर

राजस्व अपील प्राधिकारी

2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 30 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक वाद बाबत घोषणा, बंटवाड़ा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 143/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर के संबंध में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2021 को वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये, इसी दौरान दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को कैम्प में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को तामील करवाये बिना ही एकतरफा कार्यवाही भी अमल में लाये बिना ही निर्णय पारित किया हो जो कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा अपना वाद साबित ही नहीं किया गया और न ही वाद में विवाद बिंदु कायम किये गये है। कानूनन वाद में विवादित बिंदु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका, जिस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी व वादीगण के मध्य बंटवाड़ा को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी विवाद है, इस कारण बिना सुनवाई के प्राथमिक डिक्री

अपील प्राधिकारी

जारी नहीं की जा सकती है। वादीगण द्वारा अपने वाद को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, उनसे वादीगण का वाद साबित नहीं होता है। इस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री खारिज योग्य है। अंत मे अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को खारिज किया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार निस्तारित किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। फिर भी अदालत हाजा साक्ष्य सुनवाई उपरांत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना चाहे तो वह सहमत है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2021 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.10.2021 नियत की गई। दिनांक 22.10.2021 से आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.10.2021 नियत की गई। उक्त पेशी को पत्रावली **सीधे ही प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम रिण में प्रस्तुत हुई, जिसकी**

राजस्व अपील प्राधिकारी

सूचना पक्षकारान् दिये जाने अथवा नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख पत्रावली पर नजर नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुति, तनकीयात कायमी एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निदेश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर वाद विचारण की प्रक्रिया को अपनाते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.12.2020

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर